शिशु के लिए मां का दूध है सर्वोतम

रैली के माध्यम से महिलाओं को स्तनपान के लिए किया गया जागरूक

मां का दूध बच्चों के लिए सर्वोत्तम

नागेश्वर

बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड कार्यालय स्थित राजीव गांधी पंचायत सचिवालय में बाल विकास विभाग की ओर से मनाये जा रहे विश्व स्तनपान सप्ताह के अवसर पर रैली निकाली गयी. इस दौरान कई कार्यक्रम भी आयोजित किये गये. समारोह को संबोधित करते हुए सीडीपीओ गीता सोय ने कहा कि मां का दूध शिशु के लिए सर्वोत्तम है. इसलिए जन्म से छह माह तक शिशु को केवल स्तनपान करायें. इससे बच्चे का स्वास्थ्य ठीक रहेगा. इस मौके पर आगंनबाड़ी सेविका उषा देवी एवं तारा देवी ने केंद्र मे गोद भराई की जानकारी दी. इस दौरान शिशुओं

को खीर खिला कर उनकी मुंह जुठी करायी गयी, जिसमें उपस्थित सभी लोगों ने ताली बजाकर खुशियां मनायी. कुपोषण पर हुए क्विज प्रतियोगिता में सीमा देवी को प्रथम, पार्वती देवी को द्वितीय, शक्ति देवी को तृतीय पुरस्कार मिला. इस दौरान एलएस ने आंगनबाड़ी की महत्ता व कार्यकलापों की जानकारी देते हुए कहा कि केंद्र में नन्हें-मुन्ने बच्चों के जीवन स्तर में सुधार लाने के अलावा गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को पौष्टिक आहार का वितरण किया जाता है. साथ ही यह योजना सामाजिक विकास की एक महत्वपूर्ण कड़ी है. इस दौरान सीडीपीओ ने हरी झंडी दिखा कर सेविकाओं की रैली को रवाना किया. रैली ने ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण कर स्तनपान को लेकर लोगों में जागरूकता लाया. इस मौके पर एलएस सोनी गुप्ता, नूतन कुमारी, मधु सिंह, मुनी कुमारी, सरिता कुमारी, कार्यालय सहायक मो जुनैद के अलावा काफी संख्या में सेविकाएं उपस्थित थीं.

बीमार होने पर लौटा दी जाती हैं लड़कियां

रश्मि शर्मा

पलायन के बाद पैसा ही नहीं मौत की सौगात भी मिलती है. हालांकि इन बातों को भरसक प्रयत्न कर दबा दिया जाता है और बाहर जाने वाले अर्थात पलायन करने वाले लोग समझकर भी नहीं समझना चाहते.

पिछले वर्ष 2013 की ही बात है. नूतन आइन्द, खूंटी जिले में तोरपा के उकड़ीमाड़ी गांव में रहती थी. भोली-भाली आदिवासी युवती बहकावे में आकर चली जाती है दिल्ली. वहां जाकर सुमन प्लेसमेंट एजेंसी की जाल में फंसकर घरेलू कार्य में लगा दी जाती है. घरवालों से कभी-कभार फोन पर संपर्क हो जाता था. 15 अगस्त 2012 को उसने घर फोन किया कि वह अपनी सहेली के बर्थडे पार्टी में जा रही है. उसी दिन शाम को फोन आता है कि नूतन आइन्द की मौत हो गयी. कारण पता नहीं. परिवार में भाई और मां थे. बेचैन हो गये. क्या हुआ कैसे हुआ यह जानने के अलावा अब लाश वापस लाने की चिंता, अंतिम संस्कार की चिंता. मगर ऐसी गरीबी कि लाख भागदौड़ करने पर भी इतना पैसा नहीं जुटा पाए कि मृत बेटी की लाश वापस ला सकें. अंततः वहीं अंतिम संस्कार कर दिया गया. भाई संतोष आनंद की आंखों में आंसू और दर्द है. क्या हुआ था उसके साथ... कुछ पता नहीं...

कुछ माह पहले झारखंड की बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष रूप लक्ष्मी मुंडा का बयान आया कि पलायन और मानव तस्करी रोकने के लिए सख्त कानून की जरूरत है. वो इस मामले पर काफी गंभीर थीं और उन्होंने तस्करी पर रोक लगाने के लिए कई योजनाओं को शुरू करने की भी बात कही. उनके बयान के सप्ताह भर बाद ही तोरपा की कक्षा सात में पढ़ने वाली दो बच्चियां, जयमनी गुड़िया और ज्योति होरो दलाल के बहकावे में आकर दिल्ली चली गयी, जहां तोरपा प्रखंड के कमड़ा सिरकाटोली की ज्योति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गयी. जबकि गुटूहातु गांव की जयमणि गुड़िया की मौत 21 अप्रैल 2013 को दिल्ली से रांची लौटने के क्रम में हो गयी. अब दोनों के परिजनों का रो-रोकर हाल बुरा है और ग्रामीण सकते में. दोनों बच्चियां मेहमानी जा रहे हैं कहकर अपने घर से निकली थी और वहां से चांदमुनि नामक एक महिला के साथ दिल्ली चल पड़ी. नतीजा मौत के गले लग गयी दोनों. आयोग बैठा, जांच के लिए टीम आयी, मगर नतीजा कुछ भी नहीं. उजाड़-वीरान घर में पिता नवीन होरो उदास आंखों से बैठे रहते हैं. कहते हैं बेमौत मारी गयी मेरी बेटी. सही रिपोर्ट तक नहीं दिया किसी ने. अब महिला दलाल जेल में है, मगर जिनके घर की बच्ची चली गयी, उनके दुख की भरपाई कोई नहीं कर सकता. ऐसा नहीं है कि ये चीजें पहली या बहुत कम बार हुई हैं. अब तक तोरपा प्रखंड से छह लोग अपनी जान गंवा चुके हैं. दूसरी तरफ ऐसी लड़कियों की संख्या काफी अधिक है जो स्वस्थ हैं और काम के लिए महानगरों में जाती है और बुरी तरह रोगग्रस्त होकर वापस चली आती हैं. खूंटी जिले का मुरहू, जहां से सबसे ज्यादा लड़कियां पलायन या मानव तस्करी का शिकार होती हैं, की कहानी दुखद है. दिल्ली काम करने गयी दो लड़कियां 19 वर्षीया कांदी और 16 वर्षीया परती वापस अपने गांव आई है और दोनों रोगग्रस्त हैं. हालांकि बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ था उन्हें बाहर गए मगर स्थिति बहुत खराब है दोनों की.

उधर निदिया गांव की 23 वर्षीया आसरीन हरियाणा गयी थी काम करने. उसे भी त्वचा रोग हो गया. उसे घर की मालकिन घृणा से देखती और रोज अपमानित करती थी. वह भी लौट आयी अपने घर.

क्यों गयी बाहर, पूछने पर कांदी का जवाब मिलता है.. .घर में खाने-पीने की कमी है. बड़ा भाई काम की तलाश में असम चला गया. साल में एक बार आता है तो पांच-छह हजार दे जाता है. इससे घर खर्चा नहीं चलता. घर वालों की सहायता के लिए चली गयी थी. अब उसका इलाज चल रहा है. दिन-प्रतिदिन बढ़ती कमजोरी से विवश है. मां-बाप भी हैसियत के मुताबिक इलाज करा रहे हैं.

दूसरी तरफ पूर्ति प्लेसमेंट एजेंसी के दलाल के हाथों बहला कर ले जायी गयी थी. अब वो भी वापस अपने घर में है. जिस घर में पूर्ति गयी, वहां चार लोगों का परिवार था. मारपीट तो नहीं, मगर अक्सर डांट सुननी पड़ती थी और खाना भी मन मुताबिक और पर्याप्त नहीं मिलता था. वहीं रहते उसे त्वचा संबंधी रोग हुआ. इलाज करवाया गया मगर वो बढ़ता ही गया. अंततः उनलोगों ने इसे वापस भेज दिया. अब गांव में इसका इलाज हो रहा है. कहती है अब कभी नहीं जाउंगी. यहीं रहकर खेतीबाड़ी का काम करूंगी.

कुछ वर्ष पहले देश के पूर्व प्रधान न्यायाधीश केजी बालाकृष्णन का बयान आया था कि मानव तस्करी के बढ़ते मामलों पर रोक लगाए जाने के लिए सख्त कानून बनाने की आवश्यकता है. उन्होंने कहा था कि सख्त कानून के अभाव में मानव तस्करी से जुड़े मामलों की जांच सही दिशा में नहीं पहुंच पाती और अधिकांशतः युवती और महिलाओं को निशाना बनाया जाता है और वे शोषण का शिकार होती हैं.

मगर यह खबर दुखदायी है कि यह समस्या कम होने के बजाय धीरे-धीरे गहराती जा रही है. स्थानीय निवासी, राज्य सरकार, केंद्र सरकार और न्यायालय तक को खबर है कि इस देश में क्या हो रहा है. मगर हैरत की बात है कि कानून को लेकर कोई भय नहीं है लोगों में. जबकि इस रोक लगाने के लिए इम्मोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट (आइटीपीए) एक विस्तृत कानून है.

यह कानून ट्रैफिकिंग रोकने और उसका मुकाबला करने के लिए कानून को लागू कराने वाली तथा न्याय दिलाने वाली एजेंसियों को पूरे अधिकार और ताकत देता है!. यह कानून 1956 में बनाया गया था. उसके बाद भारत की संसद ने इसे दो बार संशोधित किया- पहली बार 1978 में और दूसरी बार 1986 में. इन संशोधनों में ट्रैफिकिंग को रोकने पर जोर दिया गया है.

चिंता की बात यह है कि इन धाराओं का अकसर दुरुपयोग होता है. रिसर्च से पता चलता है कि इसका मुख्य कारण है : इन धाराओं की जानकारी न होना और इन धाराओं में जो बातें कही गयी हैं, उनके बारे में समझ की कमी. हालांकि यह बात दूसरे देशों में बनाए गए कानूनों में आमतौर पर नहीं मिलती. मगर कई वजहों से इस विशेष कानून की धाराओं का इस्तेमाल नहीं हो रहा. आइटीपीए की धारा 5 के तहत, ट्रैफिकिंग के साथ-साथ इसकी कोशिश भी दंडनीय अपराध है. इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसके शिकार व्यक्ति की इसमें रजामंदी थी या नहीं. ट्रैफिकिंग के लिए प्रेरित करना, ले जाना या ले जाने की कोशिश करना आदि भी इसी अपराध की श्रेणी में आता है. अगर ट्रैफिक किए गए व्यक्ति की उम्र 12 वर्ष से कम है तो इसके लिए कम से कम सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा है. इस मामले से जुड़े हुए तथ्य और परिस्थितियों के अनुसार ट्रैफिककर्ता आइटीपीए की धारा 4, धारा 6 और धारा 9 के तहत भी अपराधी हैं. ट्रैफिकिंग की कोशिश भी आइटीपी की धारा 5 (3) के तहत अपराध है.

झारखंड महिला आयोग की अध्यक्ष हेमलता एस मोहन का कहना है कि आयोग लड़कियों की ट्रैफिकिंग रोकने के कई उपाय कर रहा है. आयोग व पुलिस की विशेष सेल की मदद से हाल के दिनों में ऐसे मामलों में कमी आयी है. पुलिस का विशेष सेल भी इस दिशा में काम कर रहा है. मगर सारी बातों को देखते हुए निष्कर्ष निकाल जाए तो हम कह सकते हैं कि नियम और कानून सिर्फ किताबों की शोभा बढ़ा रहे हैं. अगर ये सारे कानून धरातल पर होते और इनका पालन किया जाता तो रिमोट एरिया से इतनी बड़ी तादाद में लड़कियां बाहर नहीं ले जायी जाती. सच तो यह है कि हर दूसरे दिन अखबार में यह खबर आती है कि बाहर ले जाती लड़कियां यहां से पकड़ी गयी, वहां से रेस्क्यू कर वापस लायी गयीं. **(यह रिपोर्ट इनक्लूसिव मीडिया फैलोशिप 2013 के अध्ययन का हिस्सा है)**

600 ईसा पूर्व जब मुंडा लोग झारखंड आए तो उनका सामना असुरों से हुआ. मुंडाओं की लोकगाथा 'सोसोबोंगा' में उनके आगमन और असुरों से संघर्ष का विस्तार से वर्णन है. मुंडा जब झारखंड आए तो उनकी एक शाखा संताल परगना की ओर गयी. इन लोगों को आज हम संताल के नाम से जानते हैं, जबकि दूसरी शाखा रांची की पश्चिमी घाटियों में उतरी. रांची की ओर आनेवाली शाखा मुंडा कहलायी.